संख्या- 57/2024-875-22-4-2024-1852977

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 02 दिसम्बर, 2024

विषय:- जिला कारागार, मथुरा में टाईप-2 के 12 नग आवास (02 ब्लाक) के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं के पत्र संख्या-28263/नम-1,2,3/का0यो0(12)/2024, दिनांक-18.09.2024 के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2024-25 में जिला कारागार, मथुरा में टाईप-2 के 12 नग आवास (02 ब्लाक) के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु निम्न सारणी के स्तम्भ-5 में अंकित योजना की कुल लागत रू0 265.40 लाख के सापेक्ष स्तम्भ-6 में अंकित अवशेष धनराशि रू 132.70 लाख (रूपया एक करोड बत्तीस लाख सत्तर हजार मात्र) की राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	कारागार का नाम	कार्य का नाम	नामित कार्यदायी संस्था	योजना की कुल लागत	वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत की जाने वाली अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जिला कारागार मथुरा	टाईप-2 के 12 नग आवास (02 ब्लाक)	उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	265.40	132.70
योग-				265.40	132.70

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) इस सम्बन्ध में परियोजना हेतु मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-72/2023/1047-22-4-2023/001-1043- 2023, दिनांक-24.11.2023 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जाएगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनाँक 31.03.2025 तक कर लिया जाएगा।

(6) महानिरीक्षक, कारागार निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा कार्य की गुणवत्ता आदि की प्रगति के संबंध में अपने स्तर से समीक्षा करते हुए प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(7) इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत नियमों, शर्तों, प्रतिबंधों आदि का नियमानुसार पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,32,70,000 (रुपये एक करोड़ बत्तीस लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4216017 000300 कारागार स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या-57 /2024/875-22-4-2024-1852977, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, लखनऊ।

(6) जिलाधिकारी, मथुरा।

(7) अधीक्षक, जिला कारागार मथुरा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग,उ0प्र0 शासन ।

(9) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्युयक) अनुभाग-1/2

(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।